

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:- 2502
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी

2502. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय, शिक्षकों की कमी तथा शौचालय, पेयजल, बिजली, डिजिटल कक्षाओं और प्रयोगशालाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षकों के रिक्त पदों तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त रिक्त पदों को भरने तथा विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं और विज्ञान प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल करने का विचार है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्र में आती हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों से संबंधित आंकड़ा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है।

यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान देश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन और नए स्कूलों की स्थापना के परिणामस्वरूप छात्र नामांकन में वृद्धि जैसे कारकों के कारण समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है कि वे स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में प्रगति की समीक्षा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान द्वारा की जाती है, जिसकी बैठकों और परामर्शों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और 25:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, राष्ट्रीय पीटीआर बुनियादी स्तर पर 10, प्रारंभिक स्तर पर 12, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत, देश भर में सरकारी स्कूलों के सुदृढीकरण और स्कूलों की अवसंरचना में सुधार के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों (लड़कों, लड़कियों और सीडब्ल्यूएसएन के लिए अलग-अलग शौचालयों सहित), सुरक्षित पेयजल, बिजली, आईसीटी सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचना के निर्माण में सहायता करती है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज+) में उपलब्ध डेटा और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक रूप से अवसंरचनात्मक की कमियों की पहचान योजना मानदंडों के अनुसार की जाती है। इन आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार करते हैं, जिसे योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों के अनुसार परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन समग्र शिक्षा के तहत किया जाता है।

यूडाइज+ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान शौचालयों, सुरक्षित पेयजल, बिजली, कार्यात्मक स्मार्ट कक्षाओं और एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी अवसंरचनाओं वाले स्कूलों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहलों से संबंधित पहलें देश भर के स्कूलों में डिजिटल अधिगम को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रशिक्षण संसाधनों, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के समर्थन सहित शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

ई-पाठशाला शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एनसीईआरटी द्वारा तैयार एक मंच है। यह अनेक भाषाओं में एनसीईआरटी पाठ्यचर्या अनुरूप पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो-विजुअल सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ये संसाधन मोबाइल ऐप और वेब के माध्यम से सुलभ हैं, जिससे विभिन्न उपकरणों पर सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ई-पाठशाला (<https://epathshala.ncert.gov.in/>) वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ई-पुस्तकों (कक्षा 1 से 12) तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर-कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल मंच है (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)। दीक्षा में प्रतिभागियों के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी) ने स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.71 लाख से अधिक सामग्री तैयार करके उसमें योगदान दिया है। कुल मिलाकर, दीक्षा पर छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा 581.39 करोड़ अधिगम सत्र और 6,738.24 करोड़ अधिगम मिनट पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास 836 से अधिक वर्चुअल लैब्स तक पहुंच है।

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एनईपी 2020 में अनुभवात्मक अधिगम, कला-एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी-कहानी आधारित शिक्षाशास्त्र, कौशल शिक्षा के एकीकरण, शिक्षकों के पूर्व-सेवा और सेवा-कालीन प्रशिक्षण आदि की गुणवत्ता बढ़ाने आदि पर बल दिया गया है।

न्यायसंगत आधार पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं:

- i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के तहत 3-18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) और बुनियादी स्तर हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) तैयार की गई है।
- ii. एनईपी 2020 और पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं जो प्रारंभिक वर्षों से लेकर माध्यमिक तक खेल-आधारित, बहु-विषयक और अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती हैं। पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त, अधिगम के विविध क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की सहायता हेतु विशेष मॉड्यूल, अनुपूरक अधिगम सामग्री और शिक्षकों की पुस्तिकाएं जैसे अभिनव शैक्षणिक संसाधन लगातार तैयार किए जा रहे हैं।
- iii. राष्ट्रीय पठन दक्षता और संख्याज्ञान पहल (निपुण भारत) को समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के

अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) प्राप्त हो सकें, और इसके लिए ई-सामग्री दीक्षा मंच पर जारी की गई है।

- iv. कक्षा-1 के बच्चों के लिए तीन माह का खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल हेतु दिशानिर्देश दिनांक 29 जुलाई, 2021 को जारी किए गए हैं ताकि कक्षा-1 में सभी बच्चों को उत्तेजक और स्वागत योग्य वातावरण मिलें। जादूई पिटारा और ई-जादूई पिटारा, खेल आधारित संवादात्मक अधिगम संसाधन भी तैयार किए गए हैं।
- v. शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 शुरू किया गया है।
- vi. शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा प्रणाली की स्थिति के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम दक्षताओं का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्यों के लिए उचित कदम उठाने के लिए दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 किया गया है।
- vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए एक 73 संकेतक-आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किए गए हैं और पीजीआई-जिला संकलन के लिए एक वेब एप्लिकेशन तैयार किया गया है।

केंद्र सरकार विभिन्न मध्यवर्तनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। योजना मानदंडों के अनुसार आरटीई के तहत अधिकारों, समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, छात्र आकलन, डिजिटल मध्यवर्तनों, कौशल शिक्षा, एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, दीक्षा के लिए सहायता, बीआरसी/सीआरसी के माध्यम से शैक्षणिक सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सुधारात्मक शिक्षण, ब्रिज पाठ्यक्रम और अधिगम संवर्धन कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक-1

"सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2502 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षकों की संख्या		
	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	5037671	5149771	5134623
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4446	4811	4758
आंध्र प्रदेश	197378	194297	201125
अरुणाचल प्रदेश	16706	16458	16288
असम	225859	218363	216716
बिहार	486541	522200	536061
चंडीगढ़	5260	5195	5518
छत्तीसगढ़	188721	188578	186139
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3080	3194	3264
दिल्ली	87000	86095	83384
गोवा	3117	3401	3805
गुजरात	198495	191577	194679
हरियाणा	93859	101670	100969
हिमाचल प्रदेश	66081	66694	66267
जम्मू और कश्मीर	96380	94202	91569
झारखंड	117726	117039	116372
कर्नाटक	192358	195656	193644
केरल	82703	82748	82601
लद्दाख	4723	5107	5289
लक्षद्वीप	911	751	729
मध्य प्रदेश	321372	393210	399970
महाराष्ट्र	228491	231247	223687
मणिपुर	17512	17471	16970
मेघालय	22698	22827	20297
मिजोरम	13260	14389	14239
नगालैंड	18627	18527	18195
ओडिशा	212181	218162	213165
पुदुचेरी	4733	4737	4959
पंजाब	126136	122463	122813
राजस्थान	434061	445073	441070
सिक्किम	11575	10949	10933
तमिलनाडु	234167	221944	221451
तेलंगाना	148456	154956	156178
त्रिपुरा	28710	27601	26881
उत्तर प्रदेश	630075	632186	627124
उत्तराखंड	59391	59334	59401
पश्चिम बंगाल	454882	456659	448113

(स्रोत: यूडाइज+)

"सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती गेनीबेन नागाजी ठाकोर द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2502 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बुनियादी सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय			पेयजल			बिजली			कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम			एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला वाले माध्यमिक सेक्शन वाले स्कूल		
	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	98.6	98.7	99.0	98.4	99.4	99.6	92.4	94.5	95.9	21.2	28.6	32.2	50.2	51.7	51.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.8	92.5	92.5	43.8	43.0	42.1	75.2	73.3	76.2
आंध्र प्रदेश	99.4	99.2	98.9	100.0	100.0	100.0	99.7	99.7	99.7	40.2	43.6	49.5	52.8	52.4	44
अरुणाचल प्रदेश	94.8	94.8	93.5	80.3	90.9	90.8	62.4	65.1	66.9	15.6	19.5	20.7	42.2	42.5	41.5
असम	98.6	99.5	100.0	98.3	99.1	99.5	96.5	96.3	96.9	12.3	23.2	26.5	36.0	50.1	65.3
बिहार	96.1	99.6	99.9	95.5	99.8	99.9	78.8	97.8	99.7	8.8	11.4	11.6	17.9	21.1	22.9
चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.5	98.3	100.0	100.0	100.0	97.1
छत्तीसगढ़	98.9	97.0	99.0	99.0	99.4	99.8	94.1	94.1	95.7	18.5	21.8	25.1	83.0	80.8	83.5
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	69.2	69.5	82.2	84.6	78.7	82.3
दिल्ली	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.0	70.7	72.2	90.8	99.1	99.6
गोवा	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	8.2	10.3	14.7	93.0	97.6	89.4
गुजरात	99.5	99.2	98.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	63.3	69.6	72.0	32.0	31.3	29.6
हरियाणा	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	37.8	42.6	46.3	79.0	78.1	78.3
हिमाचल प्रदेश	99.9	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	99.3	99.3	26.9	48.1	57.9	84.3	76.0	72.5
जम्मू और कश्मीर	96.3	96.1	95.9	99.3	99.6	99.6	91.2	91.4	91.3	10.6	12.5	14.8	63.0	62.8	62.4
झारखंड	99.5	98.9	98.1	98.4	99.1	99.1	96.2	96.6	96.8	8.0	12.6	15.6	54.5	54.0	54
कर्नाटक	99.8	99.7	99.7	99.9	99.9	100.0	98.9	98.9	99.2	14.9	18.6	22.1	48.9	48.5	42.9
केरल	100.0	99.9	100.0	99.8	99.9	100.0	99.9	99.8	99.9	62.4	64.2	71.5	61.7	62.0	61.2

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय			पेयजल			बिजली			कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम			एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला वाले माध्यमिक सेक्शन वाले स्कूल		
	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
लद्दाख	98.2	97.8	97.1	95.4	98.5	99.5	78.2	81.7	82.8	30.2	38.7	48.6	74.4	80.0	79.9
लक्षद्वीप	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	67.6	86.1	97.1	69.2	63.6	81.8
मध्य प्रदेश	99.3	98.9	98.8	99.6	99.5	99.7	87.9	89.6	92.8	11.6	13.3	14.6	52.4	52.3	54.2
महाराष्ट्र	97.9	97.8	99.5	99.2	99.7	100.0	91.8	92.1	95.4	65.9	69.5	73.6	72.5	70.5	69.8
मणिपुर	91.7	91.4	99.9	99.8	99.8	99.9	60.5	63.5	65.0	3.4	12.6	13.1	27.9	45.5	44
मेघालय	93.8	93.5	95.8	53.5	70.3	76.0	20.2	21.1	21.7	1.2	1.4	3.0	40.0	39.7	44.7
मिजोरम	93.7	91.7	90.3	89.3	93.7	94.3	85.5	85.9	89.3	7.0	10.4	12.2	52.0	55.0	47.3
नगालैंड	91.1	92.9	91.0	64.9	88.0	88.9	76.0	81.2	85.1	29.7	31.7	33.0	29.1	36.8	42.4
ओडिशा	99.9	99.8	99.5	100.0	100.0	100.0	96.6	97.3	97.1	25.7	32.3	34.4	88.9	90.1	86.1
पुदुचेरी	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	61.7	72.3	76.4	78.5	79.3	79.1
पंजाब	99.8	99.8	99.8	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	87.5	89.1	90.2	79.5	80.4	82.8
राजस्थान	96.5	96.3	94.7	97.2	99.0	98.8	90.0	90.9	91.2	16.5	21.2	24.6	21.3	21.1	20.9
सिक्किम	99.9	99.6	99.6	99.8	99.9	100.0	98.7	98.9	99.3	43.9	56.9	68.2	73.2	76.5	78.9
तमिलनाडु	99.9	99.2	100.0	99.9	99.8	100.0	99.9	99.9	100.0	1.1	71.4	83.4	98.3	84.5	81.9
तेलंगाना	95.7	96.1	97.7	96.5	99.4	100.0	93.4	95.8	99.4	18.3	29.5	35.1	31.6	63.8	63.9
त्रिपुरा	98.1	98.5	97.6	93.4	97.4	97.7	79.6	83.4	84.9	13.1	21.7	24.3	28.2	29.4	29.6
उत्तर प्रदेश	99.6	99.0	100.0	99.3	99.8	99.8	90.7	92.4	94.9	12.4	20.8	27.3	58.8	58.6	58.9
उत्तराखंड	98.4	99.5	99.0	96.7	99.2	99.5	90.8	95.3	96.8	21.4	30.6	36.6	65.8	64.2	65.5
पश्चिम बंगाल	99.9	99.8	99.8	99.7	99.9	99.9	98.6	98.4	98.5	3.4	4.2	3.5	34.3	35.4	29.6

स्रोत: यूडाइज+
